

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 10/2023

श्रवण कुमार पुत्र महादेव, जाति माली, निवासी गुडा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
-अपीलांत

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।

-रेस्पोंडेंट

अपील खिलाफ निर्णय 31.05.2022 मु. नं. 36/2022
न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, उनवानी सरकार बनाम श्रवण
अं0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956


उपस्थिति:-

1. श्री सुमेर सिंह सैनी, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -रेस्पोंडेंट की ओर से ।

-निर्णय-


दिनांक 28.06.2023

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.05.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रवण मु0 नं0 36 /2022 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि - अपीलांत का कथन है कि- उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का गुडा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.4.2022 को भूमि खसरा नंबर 245 व 246 में अपीलांत को 0.0150 हैक्टर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने के कारण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 22.4.2022 को मौके पर रिपोर्ट तैयार की है जिसमें मंदिर भूमि दर्शाई गई है व रिपोर्ट पटवारी हल्का में मुकदमा नंबर 36/22 लिखे गये हैं। दिनांक 22.4.2022 को ही तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज कर तामिल हेतु दिनांक 26.4.2022 को पत्रावली रखी है जिसमें मुकदमा नंबर


 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 झुंझुनू

36/22 दर्ज किया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भी मु0नं0 36/22 दर्ज किया है, जो प्रकरण दर्ज करने से पूर्व ही रिपोर्ट में नंबर दर्ज किये हैं। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट के दिन ही मुकदमा दर्ज कर पत्रावली दिनांक 26.4.2022 को नियत की गई। समन पर दिनांक 24.4.2022 को तामिल हुई है। सम्पूर्ण कार्यवाही घर पर बैठकर की गई है। जिस भूमि बाबत पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें मंदिर भूमि दर्ज किया है जबकि निर्णय दिनांक 31.5.2022 में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताया है। इसके विपरित उक्त भूमि खसरा नंबर 197 जिसके पुराने खसरा नंबर 245 व 246 है। उक्त भूमि अपीलांट के पूर्वज परमाराम के नाम से संवत 2016 से 2019 तक काश्त दर्ज है और परमाराम की मृत्यु के बाद गणपत, मंगला, रामदेव पिता परमाराम के नाम से दर्ज है। अपीलांट गणपतराम का सगा पौत्र है। संवत 2020 से 2023 व संवत 2028 से 2031, संवत 2024 से 2026, संवत 2046 से 2049 यह जमीन अपीलांट के पूर्वज व अपीलांट के पिता के नाम भूमि रही है। इसके बाद आंशिक रूप से मंदिर श्री शंकर जी के नाम से खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि वर्षों से अपीलांट के दादा, पिता, आदि के नाम से दर्ज रही है, बाद में मंदिर के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है, जो गलत है और इसमें यह भी विधि का प्रश्न है कि खातेदारी की भूमि अगर मंदिर के नाम है तो भी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकती। प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय किया गया है। विवादित भूमि में अपीलांट मकानात बनाकर आवासीय भूमि में उपयोग ले रहे हैं। मौके पर मंदिर के नाम से इस भूमि को काश्त नहीं की जा रही है। अपीलांट को बिना तामिल, बिना सुनवाई के एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 31.5.2023 को अपास्त किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।


 प्रतिनिधित्व जिला कलकत्ता
 ३१/५/२३

दौराने बहस वकील अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया गया कि— पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भी मु0नं0 36/22 दर्ज किया है, जो प्रकरण दर्ज करने से पूर्व ही रिपोर्ट में नंबर दर्ज किये हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही घर पर बैठकर की गई है। भूमि खसरा नंबर 197 जिसके पुराने खसरा नंबर 245 व 246 है। उक्त भूमि अपीलांट के पूर्वज परमाराम के नाम से संवत 2016 से 2019 तक काश्त दर्ज है और परमाराम की मृत्यु के बाद गणपत, मंगला, रामदेव पिता परमाराम के नाम से दर्ज है। अपीलांट गणपतराम का सगा पुत्र है। संवत 2020 से 2023 व संवत 2028 से 2031, संवत 2024 से 2026, संवत 2046 से 2049 यह जमीन अपीलांट के पूर्वज व अपीलांट के पिता के नाम भूमि रही है। इसके बाद आंशिक रूप से मंदिर श्री शंकर जी के नाम से खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि वर्षों से अपीलांट के दादा, पिता, आदि के नाम से दर्ज रही है, बाद में मंदिर के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है, जो गलत है और इसमें यह भी विधि का प्रश्न है कि खातेदारी की भूमि अगर मंदिर के नाम है तो भी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकती। प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय किया गया है। अपीलांट की प्रोपर रूप से तामिल नहीं हुई है। विवादित भूमि में अपीलांट मकानात बनाकर आवासीय भूमि में उपयोग ले रहे हैं। मौके पर मंदिर के नाम से इस भूमि को काश्त नहीं की जा रही है। अपीलांट को बिना तामिल, बिना सुनवाई के एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 31.5.2023 को अपास्त किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कया जावे।


दौराने बहस पैरोकार सरकार द्वारा बताया गया कि अपीलाट्स द्वारा मंदिर श्री शंकर जी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी गुड़ा की


अतिरिक्त जिला कलक्टर
बन्सगाँव

रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 197 कुल रकबा 0.06 हैक्टर किस्म चाही 1 रकबा 0.05 हैक्टर व बंड डोल रकबा 0.1 है में से 0.150 हैक्टर मंदिर /सरकारी भूमि पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 31.5.2022 पारित किया गया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि मंदिर की भूमि है। राज्य सरकार के परिपत्र/निर्देशानुसार तहसीलदार मंदिर की भूमियों पर अतिक्रमण की स्थिति में कार्यवाही के लिए सक्षम है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध रूप से साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2022 उनवानी सरकार बनाम श्रवण मु०नं० 36/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।


(जगदीश प्रसाद मोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जगदीश प्रसाद मोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू।